—: आम सूचना :—

गाँधी मैदान, पटना में ऊलेन मेला के आयोजन हेतु भू—भाग आवंटित किये जाने से संबंधित शर्तें :—

1. गाँधी मैदान, पटना में ऊलेन मेला के आयोजन हेतु एक आयोजक को 12,000 वर्गफीट भू—भाग के अधिकतम 02 भूखण्ड के आरक्षण हेतु आवेदन कर पायेंगे।

2. आयोजक को उनकी संस्था के **Letter Head** पर समर्पित किये जाने वाले **आवेदन के साथ** निम्नांकित **दस्तावेज/बैंक ड्रॉफ्ट** समर्पित करना **अनिवार्य** होगा, अन्यथा उनके **आवेदन** पर **कोई विचार नहीं** किया जायेगा :—

(क.) **निबंधन शुल्क** के रुप में 500/— रु० का **डिमांड ड्रॉफ्ट** 'SRI KRISHNA SMARAK VIKAS SAMITI' के पक्ष में, जो **Non-refundable** होगा।

(ख.) संस्था/फर्म के प्रोपराईटर का AADHAR, वैध **आवासीय प्रमाण—पत्र** एवं संबंधित वरीय पुलिस अधीक्षक/संबंधित पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त **वैध आचरण प्रमाण—पत्र** की स्व—अभिप्रमाणित छायाप्रति। *संस्था/फर्म के एक से अधिक **प्रोपराईटर/पार्टनरशिप** होने की स्थिति में सम्मलित व्यक्ति का **आधार, आवासीय प्रमाण—पत्र** एवं **आचरण प्रमाण—पत्र** की स्व—अभिप्रमाणित छायाप्रति।*

(ग.) संस्था/फर्म का PAN, GST निबंधन की स्व—अभिप्रमाणित छायाप्रति।

(घ.) ऊलेन मेला हेतु 12,000 वर्गफीट भू—भाग के **01 भू—खण्ड** एवं 12,000 वर्गफीट भू—भाग के **02 भूखण्डों** के आरक्षण हेतु क्रमशः मो० 13,63,956/— रू० एवं मो० 27,27,912/— रू० की **सुरक्षित जमा राशि (Reserved amount)** का **बैंक ड्रॉफ्ट** "SRI KRISHNA SMARAK VIKAS SAMITI" के पक्ष में।

(ड.) सुरक्षित जमा राशि **(Reserved amount)** हेतु जमा किये जाने वाले **बैंक ड्रॉफ्ट** पर आवेदनकर्ता **संस्था/प्रॉपराईटर** का **नाम अंकित** होना अनिवार्य होगा, अन्यथा कार्यालय द्वारा **बैंक ड्रॉफ्ट की प्राप्ति स्वीकार नहीं की जायेगी।**

3. ऊलेन मेला हेतु आयोजक को भू—भाग का आरक्षण उच्चतम डाकवक्ता के चयनोपरांत मेला प्रारम्भ होने की तिथि से अधिकतम दिनांक 05.01.2024 तक है।

4. गाँधी मैदान, पटना के गेट नं० 7 से 6 की ओर ऊलेन मेला हेतु 12,000 वर्गफीट भू—भाग आकार के **कुल 03 भूखण्डों** (100'x120') यथा भू—खण्ड सं० 1, 3 एवं 5 का आवंटन **डाक प्रकिया** के माध्यम से भू—खण्डवार उच्चतम डाकवक्ता का चयन कर भू—भाग का आवंटन horizontal रूप से किया जायेगा, एक भू—खण्ड से दूसरे भू—खण्ड के बीच की दूरी 15 फीट निर्धारित होगी, जिसका उपयोग आयोजक व्यावसायिक रुप से नहीं करेंगे एवं न ही किसी प्रकार की कोई सामाग्री आदि को रखेंगे।

5. ऊलेन मेले हेतु निर्धारित **सुरक्षित जमा राशि** (reserve amount) का बैक ड्रॉफ्ट जमा किये जाने उपरांत डाक प्रकिया के माध्यम से अहर्ता रखने वाले आयोजकों के बीच **सुरक्षित जमा राशि** (reserve amount) के उपर **अधिकतम बोली (H1)** लगाने वाले **आयोजक** का चयन **भू—खण्डवार** (यथा भू—खण्ड सं० 1, 3 एवं 5) किया जायेगा।

6. उच्चतम डाक बोली राशि में शेष अंतर राशि Bank Draft/RTGS/NEFT जमा किये जाने हेतु **अधिकतम एक दिन अर्थात् 24 घंटे का समय (सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर)** दिया जायेगा।

7. ऊलेन मेले हेतु जिला नियंत्रण कक्ष, पटना से **अनापत्ति प्रमाण—पत्र (NOC)** प्राप्त होने के उपरांत ही आयोजक को आरक्षण आदेश निर्गत किया जायेगा अथवा इस संबंध में गठित समिति की जो भी अनुशंसा होगी, उसके अनुसार भू—भाग आवंटित किया जायेगा।

8. ऊलेन मेला में आमजनों के सुलभ आवागमन हेतु वाहनों की **निःशुल्क** पार्किंग की व्यवस्था आयोजक को अपने स्तर से करनी होगी।

9. चयनित उच्चतम डाक वक्ता आयोजकों को ऊलेन मेले संबंधी अस्थायी संरचना निर्माण एवं आयोजन पश्चात् मेला संबंधी अस्थायी संरचना निर्माण को हटाये जाने हेतु आरक्षण आदेश में वर्णित अवधि तक ही दिया जायेगा।

10. आयोजक द्वारा आरक्षण आदेश में निर्धारित समयावधि में ऊलेन मेला के आयोजन पश्चात् मेला संबंधी अस्थायी संरचना/सामान आदि को आवंटित भू—भाग से नहीं हटाया जाता है, तो आरक्षण आदेश में वर्णित प्रावधान अनुसार संबंधित आयोजक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कारवाई की जायेगी।

11. डाक प्रकिया में भाग लेने वाले अन्य आयोजकों द्वारा जमा की गयी सुरक्षित जमा राशि (reserve amount) का बैंक ड्रॉफ्ट उच्चतम डाकवक्ता आयोजक के चयनोपरांत उनके संस्था के Letter Head पर आवेदन के साथ सम्बद्ध संस्था प्रोपराईटर/प्रतिनिधि के ID Proof की छायाप्रति कार्यालय में प्राप्त कर लौटा दिया जायेगा।

जिला पदाधिकारी, पटना—सह—
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, SKSVS